प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

इस प्रतिवेदन में निर्माण कार्य अनुबंधों पर सेवा कर की उगाही और संग्रहण पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम हैं और 2010-11 से 2013-14 की अवधि को कवर करती है। बाद की या पूर्व अवधि से संबंधित मामलें जहां भी आवश्यक हो भी शामिल किये गये हैं।

इस प्रतिवेदन में विनिर्दिष्ट वे दृष्टांत हैं जो 2014-15 की अवधि के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान सामने आई थी।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखाकरण मानकों के अनुसार की गई।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर राजस्व विभाग, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड और इसके क्षेत्रीय संगठनों से प्राप्त सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता है।